

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, चैत्र ७ गते २०२८ साल

श्री ५ को सरकार
प्रशासन व्यवस्था विभागको
सूचना

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमावली २०२८ को नियम १ को उप-नियम (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०२८।११।१७ मा सो नियमावली देहायका कार्यालयहरूमा २०२९ साल वैशाख १ गते देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यालयहरूको नाम

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| १. केन्द्रीय तथ्यांक विभाग | ७. वाणिज्य विभाग |
| २. रक्षा कन्ट्रोलर कार्यालय | ८. भूमि सुधार विभाग |
| ३. पुरातत्व विभाग | ९. नापी विभाग |
| ४. नेपाल गुप्तचर विभाग | १०. भूमि विभाग |
| ५. केन्द्रीय सेवा विभाग | ११. सहकारी विभाग |
| ६. उद्योग विभाग | १२. मालपोत विभाग |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको मात्र लागू हुनेछ।

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| १३. भन्सार विभाग | २९. कर विभाग |
| १४. अन्तःशुल्क विभाग | ३०. टक्सार विभाग |
| १५. घरेलु उद्योग विभाग | ३१. महालेखापालको कार्यालय |
| १६. भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग | ३२. विद्युत् विभाग |
| १७. खानी विभाग | ३३. सिचाई तथा खानेपानी विभाग |
| १८. पर्यटन विभाग | ३४. जलश्रोत तथा जलवायु विज्ञान विभाग |
| १९. सडक विभाग | ३५. सूचना विभाग |
| २०. आवास तथा भौतिक परियोजना विभाग | ३६. प्रसार विभाग |
| २१. हवाई विभाग | ३७. वन विभाग (सि. सि. एफ कार्यालय) |
| २२. हुलाक सेवा विभाग | ३८. बन्स्पति विभाग |
| २३. कृषिप्रसार विभाग | ३९. स्वास्थ्य सेवा विभाग |
| २४. कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग | ४०. अतिथिसत्कार विभाग |
| २५. मत्स्य विभाग | ४१. स्थानीय विकास विभाग |
| २६. पशु विकास तथा पशु चिकित्सा विभाग | ४२. खाद्य अनुसन्धान शाला |
| २७. पुनर्वास विभाग | ४३. विशेष प्रहरी विभाग |
| २८. फलोद्यान विभाग | ४४. इन्जिनियरिंग इन्स्टिच्यूट |

आज्ञाले—

छेत्रविक्रम राणा

श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव